न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या– /2022

नरेन्द्र सिंह नेगी प्रति उत्तराखण्ड राज्य।

06.08.2022

आज यह प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त नरेन्द्र सिंह की ओर से विद्वान रिटेनर अधिवक्ता श्री शंकर सिंह मनराल द्वारा अन्तर्गत धारा 440 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि फौ0वा0सं0–60/2021, मुकदमा अपराध/एफ0आई0आर0 संख्या–20/2021, अन्तर्गत धारा 411 भा0द0सं0, थाना गैरसैंण, जिला चमोली में न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण, जिला चमोली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.06.2022 में नियत जमानत धनराशि मुव0 50,000.00 को संशोधित करने की कृपा की जाय।

प्रकीर्ण फौजदारी वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाय।

प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु समय 02 बजे पेश किया जाय।

**(नरेन्द्र दत्त)**
**जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**चमोली।**

**समय 02 बजे**

पुनः पत्रावली दर्ज होने के पश्चात पेश हुई।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान रिटेनिग अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 08.02.2022 को अन्तर्गत धारा 411 भारतीय दंड संहिता में स्वीकार कर, संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को अभियुक्त की जमानत धनराशि निर्धारण करने का आदेश पारित किया गया था।

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैण, जिला चमोली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश दिनांक 08.02. 2022, के अनुपालन में प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.06.2022, से जमानत धनराशि का निर्धारण कर अभियुक्त से 50,000.00 रूपये का बंधपत्र व इसी समान धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया।

अभियुक्त द्वारा विद्वान अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उसे एक जमानत पर छोड दिया जाय। जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि वह एक जमानती प्रस्तुत करे और जमानत पर रिहा होने के 15 दिन उपरान्त दूसरा जमानती प्रस्तुत करें। अभियुक्त के द्वारा अवर न्यायालय में एक जमानती प्रस्तुत किया गया। परन्तु उसकी हैसियत तहसीलदार रूद्रप्रयाग द्वारा 42847.00 रूपये आंकी गयी थी, जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा नहीं हो पाया। प्रार्थी की ओर से विद्वान रिटेनर अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि अभियुक्त की जमानत धनराशि 50,000 रूपये से कम करने का आदेश पारित करने की कृपा कर दी जाय।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान रिटेनर अधिवक्ता को सुना तथा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश का सस्म्मान अवलोकन किया।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। न्यायालय का अभिमत है कि धारा 440 की उपधारा (2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मामले के तथ्यो तथा प्रार्थी की परिस्थितियो को मद्येनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–220/2022, में पारित आदेश दि0 08.02.2022, के अनुपालन में न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण, जिला चमोली द्वारा फौ0वा0सं0–60/2021, मुकदमा अपराध/एफ0आई0आर0 संख्या–20/ 2021, अन्तर्गत धारा 411 भा0द0सं0, थाना गैरसैंण, जिला चमोली में बंधपत्र धनराशि रू0 50,000.00 की रकम को रू0 30,000.00 निर्धारित/घटाया जाता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष रू0 30,000.00 का व्यक्तिगत बंध पत्र व इसी समान धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करे।

आदेश की प्रति विद्वान अवर न्यायालय को प्रेषित की जाय। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

**(नरेन्द्र दत्त)**
**जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**चमोली।**